न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5822/2005/अजमेर

1– नाथूलाल पुत्र स्व0 श्री माला जाति तेली निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
2– नाथूलाल पुत्र श्री मोहन जाति तेली,
3– हनुमान पुत्र श्री मोहन जाति तेली,
4– गोपाल पुत्र स्व0 श्री माला जाति तेली सभी निवासीयान गांधीनगर मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1– आनन्दी लाल पुत्र श्री नारायण जाति तेली निवासी महावीर भवन के सामने मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

3– रामस्वरूप पुत्र मोहन जाति तेली निवासी गांधीनगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।

.....तरतीबी रैस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री के0 के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक :16–10–2019

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 28–10–2005 अपील सं0 53/2004 बउनवानी आनन्दीलाल बनाम नाथूलाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता सं0 नये 366 पुराने 269 के खसरा नं0 403 रकबा 14–10–00 ग्राम सावंतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित है। इस

आराजी हेतु बंटवारे का राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो0 सं0 1 नाथूलाल पुत्र श्रीमाला द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया उसे दिनांक 23–2–2004 को नोटप्रेस में खारिज करवा दिया गया। जिस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी आनन्दीलाल ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–10–2005 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिस निर्णय दिनांक 28–10–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेखित तथ्य सही होता है जब तक कि उसको साक्ष्य के द्वारा विखंडित नहीं कर दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अपील में कोई साक्ष्य अथवा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया कि उसने मौखिक रूप से अपने को वादी बताते हुए दावा चालू रखने का निवेदन किया था। इस कारण रेस्पो0 सं0 1 की सुनी सुनवाई जबानी बहस पर विश्वास करके अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट सं0 1 का यह कानूनी अधिकार था कि वह अपने प्रकरण को आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत परित्याग कर सकता है और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलांट सं0 1 ने अपना वाद नोटप्रेस में खारिज कराया जिसको विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय के समक्ष कभी यह जाहिर नहीं किया कि उसको वाद में प्रतिवादी की जगह वादी बनाया जावें और वाद को चालू रखा जावें जो कि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 (क) के प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रतिवादियों को वादी के रूप में पक्षान्तरित करने की अनुमति उसी परिस्थिति में दी जा सकती है जबकि वादी द्वारा वाद का परित्याग किये जाते समय प्रतिवादी आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत स्वयं को वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने हेतु आवेदन करें। प्रस्तुत प्रकरण में मूल वाद में रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलांट सं0 1 द्वारा अपना वाद नोटप्रेस किये जाते समय स्वयं को वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने हेतु ना तो आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0

के तहत कोई आवेदन किया और न ही इस हेतु कोई मौखिक प्रार्थना की जो कि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–2–2004 से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही एकपक्षीय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का आदेश बहाल रखा जावें।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर में अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा होना था। इन्होंने बिना सहमति के नोट प्रेस करा लिया। अपीलांट को अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। वादी ने आराजी बेचान कर दी। अतः उनके अधिकार खत्म हो चुके हैं। इसलिए अपीलीय न्यायालय का आदेश प्रतिप्रेषित का सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23–2–2004 में अंकित किया है कि वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 का पेश किया। वादी स्वयं उपस्थित। उसकी ओर से वकील विक्रान्त शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर वाद नहीं चलाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 4 द्वारा निवेदन किया कि उक्त वाद में राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है। हमारे द्वारा दोनों पक्षों को सुना, वादी को सुना गया। वादी एवं उसके वकील द्वारा उक्त वाद में किसी प्रकार की प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने पर वादी का वाद नोटप्रेस करने से खारिज किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2005 में अंकित किया है कि पत्रावली में वादी द्वारा कथित पुराने वाद के कोई दस्तावेज या राजीनामा उपलब्ध नहीं है। यदि पुराना राजीनामा था तो नया वाद लाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। बंटवारा का वाद लाकर उसे बीच में छोड़ देना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अपीलांट के इस कथन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने वादी बनकर बंटवारा किये जाने की मौखिक प्रार्थना की हो। यदि बंटवारा का वाद लाकर कोई पक्षकार बीच में ही वाद खारिज करा ले तो बंटवारा के वाद का तो निर्णय ही नहीं हो सकता और पक्षकारों को बार–बार वाद लाने होगें। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य

है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वाद सं0 19/99 में अपीलांट आनन्दीलाल पुत्र नारायण तेली को वादी व अन्य पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया जाकर वाद की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर नवीन निर्णय पारित करें।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–1–1999 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का लाया गया। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रतिवादी सं0 4 को अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दिनांक 14–2–2001 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 23–2–2004 की फर्द अहकाम में अंकित है कि वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 पेश कर वाद नही चलाने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 4 के द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त वाद में राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है। वादी एवं उसके वकील द्वारा उक्त वाद में से किसी प्रकार की प्रतिवादी के विरूद्व कार्यवाही नहीं चाहने पर वादी का वाद नोट प्रेस करने से खारिज किया जाता है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि यदि बंटवारा का वाद लाकर कोई पक्षकार बीच में ही वाद खारिज करा ले तो बंटवारा के वाद को तो निर्णय नहीं नहीं हो सकता और पक्षकारों को बार–बार वाद लाने होगें।

8– अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दिनांक 14–2–2001 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रतिवादी सं0 4 द्वारा बंटवारा कराये जाने बाबत किसी प्रकार का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 का विरोध करते हुए बंटवारा किये जाने की प्रार्थना नहीं की गई। आदेश 23 नियम 1–ए. जा0दी0 के तहत प्रतिवादी सं0 4 द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के अधीन वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा बंटवारे तथा स्थाई निषेधाज्ञा के दावे को नहीं चलाने के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा नोट प्रेस में खारिज किया गया है।

9– अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2005 में अंकित किया है कि अपीलांट के इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि उसने वादी बनकर बंटवारा किये जाने की मौखिक प्रार्थना की हो। मौखिक प्रार्थना करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी सं0 4 मौखिक प्रार्थना करने के स्थान पर अपने जवाब दावा में बंटवारा किये जाने का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर सकता था या वादी द्वारा आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसका लिखित में जवाब देकर बंटवारा किये जाने का निवेदन कर सकता था। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा आदेश 23 नियम 1–ए. के प्रावधान – प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षान्तरण करने की अनुज्ञा कब दी जायेगी, के तहत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के अधीन वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया गया।

10– अतः अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय दिनांक 28–10–2005 कि अपीलांट को वादी तथा अन्य पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया जाकर वाद की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर नवीन निर्णय पारित करें, उचित नहीं है। इसलिए हमारी विनम्र राय में अपीलांट की अपील काबिल स्वीकार योग्य है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 28–10–2005 खारिज किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–2–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य